



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13211-DB

आरक्षित तिथि :- 24.11.2025

निर्णय तिथि :- 20.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 2201 वर्ष 1989

अमर सिंह और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार राय, मंगला प्रसाद राय (वरिष्ठ अधिवक्ता), पवन कुमार पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

चैबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा दिया गया)

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मंगला प्रसाद राय एवं उनके सहयोगी श्री अशोक कुमार राय, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना गया और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

2. यह आपराधिक अपील फतेहपुर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण सं. 552 सन् 1987 में दिनांक 09.11.1989 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता सं. 1 और 2 को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अपीलकर्ता सं. 3 और 4 को धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि शिकायतकर्ता रघुराज सिंह (पीडब्लू-1) ने बताया है, यह है कि 19.02.1987 को शिकायतकर्ता रघुराज सिंह, अपनी बेटी कुमारी ननकी और उनके नाबालिग बेटे अर्जुन हरे पत्ते लाने के लिए अपने खेत में गए थे। कुछ समय बाद मृतक कामता सिंह भी हरे पत्ते इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचा। पेड़ों से पत्ते इकट्ठा करने के बाद, शिकायतकर्ता रघुराज सिंह, कुमारी ननकी और अर्जुन घर लौट रहे थे। कामता सिंह खेत में उनके पीछे रह गया। जब शिकायतकर्ता, उसकी बेटी और उसका नाबालिग बेटा राज बहादुर के खलिहान (फसल काटने की जगह) पर पहुंचे, जो परती (बंजर) भूमि में स्थित था, तब दोपहर के 12 बज रहे थे। उसका मृतक बेटा कामता सिंह साइकिल पर उनके आगे चल रहा था। जब वह कच्चा गलियारा के मोड़ से गाँव की ओर आ रहा था, तभी आरोपी अमर सिंह, ननकवा सिंह (दोनों बंदूकों से लैस), इकबाल और भूदार उर्फ तेज बहादुर (दोनों देसी पिस्तौलों से लैस) जो शंकर सिंह के खेत की झाड़ियों में घात लगाकर बैठे थे, सामने आ गए। उन्होंने कामता सिंह को रोक लिया। इकबाल और भूदार ने उसकी साइकिल पकड़ ली और उसे जान से मारने के लिए उकसाया, जिस पर अमर सिंह और ननकवा ने कामता सिंह पर गोलियाँ चला दीं। गोलियाँ कामता सिंह को लगीं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता और उसके बेटे-बेटी ने शोर मचाया, जिस पर आरोपी गाँव की ओर भाग गए। चीख पुकार सुनकर शकूर पठान और पच्चू केवट भी आ गए। उन्होंने आरोपियों को भागते हुए देखा।

4. आरोपी फतेहपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए, जिन्होंने अमर सिंह और ननकवा के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. तथा इकबाल और भूदार उर्फ तेज बहादुर सिंह के खिलाफ धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत आरोप तय किए। प्रत्येक आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने रघुराज सिंह को पीडब्लू-1, कुमारी ननकी को पीडब्लू-2, हेड कांस्टेबल देव दत्ता तिवारी को पीडब्लू-3, एस.आई.आर.के मिश्रा को पीडब्लू-4 और डॉ. रमेश शर्मा को पीडब्लू-5 के रूप में गवाही के लिए पेश किया और अपना साक्ष्य समाप्त किया।

6. रघुराज सिंह (पीडब्लू-1) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का विस्तृत विवरण दिया। जिरह में उसने बताया कि उसके और बलवंत सिंह, अमर सिंह और ननकवा सिंह के बीच दीवानी मुकदमा चल रहा था। उसने ही इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। छेदा सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उसने स्वीकार किया कि वे मुंसिफ की अदालत से मुकदमा हार गए थे। इसके बाद मुंसिफ के उक्त फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसका फैसला भी उसके खिलाफ ही आया। उक्त दीवानी मुकदमा नाबदान आदि को बंद करने से संबंधित था, जिसके कारण गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी भी आरोपियों से दुश्मनी थी। उसने बताया कि खेतों से हरी पत्तियां तोड़ना उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। कभी-कभी इस दिनचर्या में कुछ समय का अंतराल हो जाता था। कभी-कभी उनके साथ उनकी बेटी कुमारी ननकी और पुत्र अर्जुन भी होते थे। घटना वाले दिन वह सुबह लगभग 10:00 बजे अपनी बेटी कुमारी ननकी और पुत्र अर्जुन के साथ घर से निकले थे। एक-दो घंटे बीतने के बाद कामता सिंह खेत में पहुँच गया। कामता सिंह अचानक आया था। कामता पहले भी उसके साथ गया था। घटना वाले दिन ननकी और अर्जुन पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं गए थे। उसने बताया कि वे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाएँगे। उन्होंने हरे पत्ते इकट्ठा करने के लिए उसके साथ जाने की इच्छा जताई। अदालत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने बताया कि ननकी और अर्जुन पढ़ाई के लिए स्कूल गए थे, लेकिन सुबह 10 बजे तक घर लौट आए थे। जब वे सुबह 10 बजे घर आए, तो उसने उनसे पूछा कि वे स्कूल से क्यों लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए वे घर लौट आए थे। कई अन्य बच्चे भी स्कूल छोड़कर चले गए थे, इसलिए वे भी इसी तरह वापस आ गए थे। गवाह ने स्पष्ट किया कि कामता सुबह खाना नहीं खाता था। आरोपी भूदर साइकिल को दाईं ओर से पकड़े हुए था और इकबाल बाईं ओर से। उन्होंने कामता की साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था और उसी समय जब अमर सिंह और ननकवा ने दाहिनी ओर से कामता पर गोली चलाई, तो भूदर और इकबाल दोनों साइकिल से लगभग 1-2 कदम दूर हट गए थे। गवाह ने आगे बताया कि उस समय अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



वह और उसके बच्चे कामता से लगभग 10 कदम दूर थे। पहली गोली अमर सिंह ने कामता की छाती पर और दूसरी गोली ननकवा ने उसकी कनपटी पर चलाई। गोलीबारी देखकर गवाह ने बताया कि उसने तुरंत "मार डालेन" कहकर शोर मचाया और घटनास्थल के पास पहुँच गया। गवाह (पीडब्ल्यू-1) और आरोपियों के बीच कोई रुकावट नहीं थी। आरोपियों ने शिकायतकर्ता रघुराज सिंह पर गोली चलाने की कोशिश नहीं की। आगे की जिरह में गवाह ने बताया कि मृतक कामता उस सुबह उससे पहले शौच के लिए नहीं गया था।

7. ननकी (पीडब्ल्यू-2) की उम्र 15 वर्ष थी। उससे शपथ की पवित्रता के बारे में जानने के लिए कई प्रश्न पूछे गए। वह सत्य और असत्य का भेद भी जानती थी, इसलिए न्यायालय द्वारा शपथ दिलाए जाने के बाद उसने शिकायतकर्ता रघुराज सिंह (पीडब्ल्यू-1), जो उसके पिता थे, द्वारा बताई गई उपरोक्त कहानी सुनाई। जिरह में उसने रघुराज सिंह के इस कथन की पुष्टि की कि कामता ने उससे पहले भोजन नहीं किया था। उसने बताया कि जब वे सब भोजन कर रहे थे तब कामता सो रहा था और जब वे हरी पत्तियां तोड़ने जा रहे थे तब कामता उठा था, लेकिन तब तक उसने शौच नहीं किया था। पत्तियां तोड़ने के बाद कामता खेतों का निरीक्षण करने के लिए वहीं रुक गया। वह अपने पिता और भाई अर्जुन के साथ घर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वे राज बहादुर के खलिहान पहुंचे, कामता साइकिल पर पीछे से आया और उनके बीच से निकल गया। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि पास की झाड़ियों से आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। भूदर और इकबाल ने कामता को पकड़ लिया और बाकी दो आरोपियों ने उसके दाहिनी ओर से उस पर गोलियां चलाईं। दोनों के पास बंदूकें थीं। बंदूक की नली और कामता के शरीर के बीच की दूरी लगभग एक फुट थी। छरे उस समय दागे गए जब मृतक साइकिल से नीचे नहीं उतरा था। उसे साइकिल से उतरने नहीं दिया गया। गोलियों से घायल होने के बाद कामता साइकिल समेत जमीन पर गिर पड़ा। अदालत के एक सवाल के जवाब में गवाह ने बताया कि सुबह करीब 7-8 बजे वह घरेलू काम से बचने के लिए स्कूल गई थी। लेकिन करीब 9 बजे स्कूल में हाजिरी लगवाने के बाद वह घर लौट आई। जब सुबह 10 बजे स्कूल शुरू हुआ और उसने हाजिरी लगवाई, तो वह चुपके से स्कूल से निकल गई क्योंकि शिक्षक ने कहा था कि जो छात्र भूखे हैं वे घर जा सकते हैं। इसलिए वह अन्य सहपाठियों के साथ घर वापस आ गई। बचाव पक्ष ने पूछा कि क्या यह पहली बार था जब वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



स्कूल से चुपके से निकली थी? गवाह ने जवाब दिया कि यह उसके लिए पहली बार नहीं था, बल्कि उसने पहले भी ऐसा किया था।

8. देव दत्त तिवारी (पीडब्लू-3) ने चिक एफआईआर और मामले के पंजीकरण से संबंधित सामान्य डायरी में दर्ज प्रविष्टि को प्रमाणित किया। विवेचनाधिकारी एस.आई. श्री आर.के. मिश्रा, को पीडब्लू-4 के रूप में पेश किया गया। जिरह में विवेचनाधिकारी ने बताया कि उन्होंने मृतक के खून आलूदा कपड़े, खून आलूदा और सादी मिट्टी आगरा के रासायनिक परीक्षक के पास भेजे थे। उन्होंने बरामद बंदूक को विशेषज्ञ की राय के लिए नहीं भेजा क्योंकि उसकी नली साफ कर दी गई थी और उसमें से केरोसिन की गंध आ रही थी। गवाह ने बताया कि यह जानकारी 27.02.1987 को पुलिस स्टेशन की सामान्य डायरी में क्रमांक 32, पैरा 18.40 पर दर्ज की गई थी। गवाह ने शव के पास से बरामद साइकिल, सीट और लाठी की पहचान की।

9. डॉ. रमेश शर्मा (पीडब्लू-5) जिन्होंने 20.2.1989 को कामता सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया, उन्हें निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें मिलीं:

(i) दाहिनी भों के ऊपर 3 सेमी x 3 सेमी x मस्तिष्क तक गहरा आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव। घाव पर कालापन और टैटू के निशान मौजूद थे। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।

(ii) बाएं कान से 3 सेमी ऊपर बाईं ओर माथे और खोपड़ी पर 10 सेमी x 6 सेमी आग्नेयास्त्र का निकास द्वार का घाव था। घाव से रुई का एक टुकड़ा और 10 छोटे आकार के छर्रे बरामद किए गए। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।

(iii) दाहिने निप्पल से 4 सेमी ऊपर छाती के दाहिनी ओर 3 सेमी x 3 सेमी x गुहा तक गहरा आग्नेयास्त्र का प्रवेश का घाव था। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। घाव से रुई का एक टुकड़ा बरामद किया गया। कोई निकास घाव नहीं देखा गया। शरीर के दाहिने पिछले हिस्से से कंधे के कोण के ठीक नीचे से छह बड़े आकार के छर्रे बरामद किए गए जो त्वचा में धंसे हुए थे और हाथ से स्पर्श करने पर महसूस किए जा सकते थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. आंतरिक जांच में मृतक की दाहिनी तीसरी पसली टूटी हुई पाई गई। दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था। छाती में लगभग एक लीटर खून पाया गया। बायां फेफड़ा भरा हुआ था। हृदय खाली था। पेट में 4 औंस दूध था। छोटी आंतें खाली थीं जबकि बड़ी आंतें मल से भरी हुई थीं। यकृत भरा हुआ था। पित्ताशय भरा हुआ था। अग्न्याशय, प्लीहा और गुर्दे भरे हुए थे। मूत्राशय खाली था। डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु पोस्टमार्टम की तारीख से लगभग एक दिन पहले हुई होगी और मृत्यु पूर्व-मृत्यु चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। शव पर एक तहमत, एक शॉल, एक कमीज, एक स्वेटर, एक लंगोट और एक तावीज पाया गया, जिसे सीलबंद करके संबंधित पुलिस को भेज दिया गया। डॉक्टर ने विशेष रूप से कहा कि कामता की मृत्यु 19.2.1987 को दोपहर 12 बजे हुई होगी। मृत शरीर पर पाए गए मृत्युपूर्व घाव सामान्यतः कामता की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे और ये घाव दो गोलियों के थे, जो संभवतः बंदूक जैसे किसी हथियार से चलाई गई थीं। जिरह के दौरान डॉक्टर ने बताया कि संभव है कि कामता की मृत्यु 19 फरवरी 1987 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच हुई हो। घाव सं. 1 और 3 एक ही स्थान से नहीं लगे थे। पहला घाव दाहिनी ओर से लगा था, जबकि तीसरा घाव सामने से लगा होगा। घाव सं. 1 और 3 अलग-अलग दूरी से लगे थे। मृतक ने अपनी मृत्यु से लगभग आधे घंटे पहले दूध पिया होगा। डॉक्टर ने गवाही दी कि मृतक युवा और हृष्ट-पुष्ट था। चूंकि उसकी बड़ी आंत मल से भरी हुई थी, इसलिए संभव है कि उसने अपनी मृत्यु से पहले शौच न किया हो।

11. अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। अमर सिंह ने कहा कि रघुराज सिंह ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वह मामला हार गया था। इसलिए उनकी रघुराज सिंह से दुश्मनी थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें झूठा फंसाया गया। ननकवा ने कहा कि घटना के समय रघुराज सिंह गांव में नहीं था। वह गांव से बाहर किसी निमंत्रण में शामिल होने गया था। कामता सिंह की मृत्यु के बाद लोग उसे बुलाने गए। रघुराज सिंह के रात में लौटने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भूदार उर्फ तेज बहादुर ने कोई विशेष बात नहीं कही। इकबाल सिंह के मामले में भी यही स्थिति है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



12. अभियुक्तों ने जमीन अली को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया। वह 5.7.1980 से देओलान प्राथमिक पाठशाला के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने 19.2.1987 की उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उस दिन स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक था। उन्होंने आगे कहा कि कुमारी ननकी (पीडब्लू-2) और अर्जुन फरवरी 1987 में क्रमशः चौथी और दूसरी कक्षा में उनके विद्यालय में पढ़ रहे थे। दोनों उस दिन सुबह 8 बजे विद्यालय में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि दोनों दोपहर 12:45 बजे तक वहीं रहे। लगभग 12:45 बजे कुमारी ननकी रोते हुए उनके पास आई और कहा कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, इसलिए उसे छुट्टी दे दी जाए। उन्होंने तुरंत उसे छुट्टी दे दी। वह अपने भाई अर्जुन सिंह के साथ चली गई। गवाह ने बताया कि ननकी और अर्जुन सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक विद्यालय में ही रहे। सरकारी अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान उन्होंने बताया कि विद्यालय में तीन कमरे थे, जिनमें एक बरामदा और दो अन्य कमरे शामिल थे। उस दिन हर कक्षा के सभी छात्र उपस्थित थे। लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते थे। दो कमरों में तीन अलग-अलग कक्षाएं चलती थीं। बाकी दो कक्षाओं के छात्र बरामदे के बाहर मैदान में बैठते थे। गवाह ने बताया कि वह पांचवीं कक्षा में बैठा था। घटना वाले दिन विद्यालय में 82 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़कियाँ और लड़के दोनों शामिल थे। गवाह ने आगे बताया कि वह कक्षा पाँच का शिक्षक था। कक्षा द्वितीय का कक्षा अध्यापक बेनी माधो था और 19 फरवरी 1987 को कक्षा चतुर्थ की कक्षा अध्यापक विद्या निधि थी। 19 फरवरी 1987 को सभी कक्षाओं के सभी वर्गों की उपस्थिति उसने अकेले ही दर्ज की थी। कक्षा प्रथम से कक्षा पाँच तक की पूरी फरवरी माह की उपस्थिति उसी ने दर्ज की थी। अर्जुन 19 फरवरी 1987 के बाद भी विद्यालय आता रहा और 24 फरवरी तक आता रहा, फिर वह 2 मार्च को आया। इसी प्रकार कुमारी ननकी 19 फरवरी से 24 फरवरी तक उपस्थित रहीं।

13. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, निचली अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का अध्ययन करने और निचली अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद, हमने पाया कि विवादित घटना 19.02.1987 को दोपहर लगभग 12:00 बजे घटी और एफआईआर उसी दिन दोपहर 3:30 बजे दर्ज की गई। एफआईआर मृतक के पिता, पीडब्लू 1 रघुराज सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में स्पष्ट रूप से कोई देरी नहीं हुई है। अपीलकर्ता सं. 2, ननकवा सिंह द्वारा दिया गया बचाव कि रघुराज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



घटना के समय गांव में नहीं था और गांव से बाहर किसी निमंत्रण में शामिल होने गया था, निचली अदालत द्वारा सही नहीं पाया गया है।

14. दूसरा मुद्दा कथित घटना के समय पीडब्लू- 1 के साथ मृतक की नाबालिग बहन, पीडब्लू- 2 की उपस्थिति से संबंधित है।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि पीडब्लू-2 ने घटना नहीं देखी क्योंकि वह स्कूल में थी और डीडब्लू-1 ने यह साबित कर दिया है कि वह कथित अपराध के समय स्कूल में मौजूद थी और उसके भाई की हत्या की खबर स्कूल में मिलने के बाद ही उसने उसे उसके भाई अर्जुन के साथ दोपहर 12:45 बजे घर जाने दिया। उसने स्वीकार किया है कि हाजिरी लगने के बाद वह सुबह 9:00 बजे स्कूल से जल्दी चली गई थी, लेकिन उसने स्कूल क्यों छोड़ा, इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसने कहा कि वह पहले भी स्कूल से भाग जाती थी। इसलिए, घटना स्थल पर पीडब्लू-2 की उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

16. पीडब्लू-1 के बयान के संबंध में, घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं प्रतीत होता है। उसने अपने बेटे कामता की साइकिल पकड़ने का काम भूदार और इकबाल का बताया है। ननकवा और अमर सिंह पर दाहिनी ओर से कामता पर गोली चलाने का आरोप है। इसलिए, साइकिल पकड़ने का काम केवल जीवित अपीलकर्ता सं. 4, भूदार का बताया गया था। पीडब्लू-1 द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, अपराध का मकसद पीडब्लू-1 बलवंत सिंह और अर्जुन सिंह एवं ननकवा के बीच चल रहा दीवानी मुकदमा है। पीडब्लू- ने यह भी स्वीकार किया कि वह मुंसिफ न्यायालय में मुकदमा हार गया था और अपील भी खारिज कर दी थी, और इसी विवाद के कारण आरोपियों की उससे दुश्मनी थी।

17. यह सर्वविदित कानून है कि मुकदमे में साक्ष्य की गुणवत्ता उसकी मात्रा पर नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि न्यायालय को किसी एक गवाह के बयान पर भी भरोसा हो, तो उसके आधार पर भी दोषसिद्धि का आदेश दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, न्यायालय पाता है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान लगभग समान हैं। दोनों गवाहों ने अपीलकर्ताओं की भूमिका एक ही बताई है। इसलिए, यदि पीडब्लू-2 के बयान को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



तो भी पीडब्लू-1 की गवाही न्यायालय को विश्वास दिलाती है। पीडब्लू-1 ने यह सिद्ध किया है कि पक्षों के बीच शत्रुता थी और उसने अपीलकर्ता सं. 1, अमर सिंह और अपीलकर्ता सं. 3, ननकवा द्वारा मृतक को दो-दो गोलियां मारने के तरीके और ढंग को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है, जबकि उसने मृतक की साइकिल पकड़ने का आरोप मृतक-अपीलकर्ता सं. 3, इकबाल और अपीलकर्ता सं. 4, भूदार पर लगाया है।

18. हमने यह भी पाया मृतक को निकट से दो बार गोली मारी गई थी। पीडब्लू-5 (चिकित्सक) ने मृतक की दाहिनी भों के ऊपर आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव के आसपास कालापन और टैटू के निशान पाए। दोनों घावों से रूई के टुकड़े बरामद किए गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनों चोटें निकट दूरी से लगी थीं। अभियोजन पक्ष का मामला, जहां तक मृतक की साइकिल का हैंडल पकड़ने की भूमिका जीवित अपीलकर्ता सं. 4 और मृतक-अपीलकर्ता सं. 3, इकबाल की बताई गई है, इस न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाता है। चूंकि दोनों चोटें बहुत निकट दूरी से लगी थीं, इसलिए भूदार द्वारा दाहिनी ओर से और इकबाल द्वारा बाईं ओर से साइकिल पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। कामता को साइकिल से गिरने के बाद भी हमलावरों द्वारा गोली मारी जा सकती थी और अपीलकर्ताओं अमर सिंह और ननकवा सिंह की भूमिका जो दो घातक गोली लगने की चोटों को मारने से पहले उसे साइकिल पर स्थिर करने की है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, हमारा मानना है कि जीवित अपीलकर्ता सं. 4, भूदार को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए।

19. हालांकि, जहां तक जीवित अपीलकर्ता सं. 2, ननकवा के मामले का संबंध है, यह न्यायालय पाता है कि वह अमर सिंह और बलवंत सिंह के साथ दीवानी मामले में मुकदमे का पक्षकार था, जबकि भूदार पीडब्लू-1 के साथ मुकदमे का पक्षकार नहीं था। इसलिए, हम जीवित अपीलकर्ता सं. 2, ननकवा को दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हैं, जबकि अपीलकर्ता सं. 4, भूदार उर्फ तेज बहादुर की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं।

20. ननकवा, अपीलकर्ता सं. 2, जमानत पर है। उसकी जमानत रद्द की जाती है और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। उसे तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा और शेष सजा भुगतनी होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



21. जीवित अपीलकर्ता सं. 4, भूदार उर्फ तेज बहादुर भी जमानत पर है। उसकी जमानत रद्द करने और उसके जमानतदारों को उन्मोचित करने का निर्देश दिया जाता है।

22. आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

23. आवश्यक अनुपालन के लिए निचली अदालत का अभिलेख और निर्णय की प्रति निचली अदालत को लौटा दी जाए।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

20 जनवरी, 2026

रोहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।